न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/85

1. चतुर्भुज पुत्र बजरंगा जाति गुर्जर निवासी खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. राधाबाई पत्नी छोटूलाल पुत्री बजरंगा जाति गुर्जर निवासी खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
3. राजेन्द्र पुत्र गंगाराम जाति गुर्जर निवासी खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
4. महेन्द्र पुत्र गंगाराम जाति गुर्जर निवासी खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
5. सुनीता पुत्री गंगाराम जाति गुर्जर निवासी खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
6. कमलेश पुत्री गंगाराम जाति गुर्जर निवासी खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा नाबालिग जरिये वलिया माता श्रीमती कौशल्या बाई पत्नी गंगाराम ।
7. श्रीमती कैलाश उर्फ कौशल्या बाई पत्नी गंगाराम जाति गुर्जर निवासी खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती गोपाल कंवर पत्नी कालूसिंह जाति राजपूत निवासी बसन्त टाकिज के साने पंचायत समिति की गली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. अजय आत्मज किशना जाति गुर्जर निवासी खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी कोटा ।
3. श्रीमती नट्टी बाई पत्नी किशना पुत्री जाति गुर्जर खैराबाद रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
4. हुकम चन्द पुत्र बजरंगलाल जाति गुर्जर निवासी खैराबाद रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री संजय शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 22.04.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.02.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

8. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आराजी का विभाजन राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है । राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार आराजी का विभाजन करने पर वादीगण को आपत्ति नहीं है परन्तु अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व मौके की स्थिति एवं कब्जे का ध्यान नहीं रखा गया है । मौके पर अपीलान्ट को नहीं बुलाया गया है । ग्राम रोंसली की सम्पूर्ण आराजी रेस्पोडेन्ट कम 1 को दे दी गई है जो गलत है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 16.02.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि राजस्व मण्डल नियमों की पालना करते हुए मौके पर कब्जे का ध्यान रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये हैं । अपीलान्ट की आपत्ति का विधि सम्मत रूप से निस्तारण किया गया है । प्रारम्भिक डिक्री के अनुरूप ही अंतिम डिक्री जारी की गई है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 16.02.2015 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने द्वारा दिनांक 26.11.2014 को दावा वादी स्वीकार करते हुए विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई है । विभाजन प्रस्ताव जो पत्रावली में संलग्न हैं उनका अवलोकन किया गया, विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक के द्वारा तैयार किये गये हैं जबकि राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 के अनुसार तहसीलदार को स्वयं मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने चाहिए । विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान के मौके पर हस्ताक्षर नहीं करवाए गये हैं और न ही यह अंकित किया गया है कि पक्षकारान ने हस्ताक्षर करने से इंकार किया है । इस प्रकार विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है जो कि आवश्यक है ।

12. इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.02.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार से पुनः विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में खतौनी संख्या नया 405 की खरा नम्बर 3106 रकबा 01 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 3107 रकबा 09 बीघा 14 बिस्वा कुल 09 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है । ग्राम रोंसली में खतौनी संख्या नया 55 पुराना 57 में खसरा नम्बर 09 की रकबा 02 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण के पूर्वज पिता श्री बजरंगा के खाते में चली आ रही थी । वादग्रस्त आराजी पक्षकार की पैतृक भूमि है । वादी को दोनों ग्रामों की आराजी में 1/2 – 1/2 हिस्सा निहित है । इसी प्रकार प्रतिवादी कम 1 का भी दोनों ग्रामों की आराजी में 1/2 – 1/2 हिस्सा निहित है । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादीगण अपने हिस्से की भूमि का विधिवत विभाजन कराने के अधिकारी हैं ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जाकर वादीगण कम 1 व 2 को प्रत्येक को उक्त आराजी में 1/6 हिस्सा तथा वादी कम 3 से 7 को उक्त आराजी में 1/6 हिस्सा दिलवाया जाकर खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे विभाजन होने के बाद वादीगण को उक्त भूमि के उपयोग एवं उपभोग एवं कुए का उपयोग करने में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें ।

4. प्रतिवादी कम 1 ने जवाबदावा एवं काउन्टर क्लेम पेश किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26.11.2014 के द्वारा वादी का वाद एवं प्रतिवादी कम 1 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित जारी कर दी ।

6. तत्पश्चात् अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.02.2015 के द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन की अंतिम डिक्री पारित कर दी ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 16.02.2015 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन अंतिम डिक्री जारी की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण की अनुपस्थित में विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाए हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना किये बिना ही उक्त अंतिम डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 16.02.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

से निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 10.06.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 22.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा